उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 20 मार्च, 2013)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")
3. विधन के निदेश।
4. समाज कल्याण मंत्री, निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत निःशक्तजन उत्तराखण्ड (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कियान्वयन का (01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2012 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
7. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम हड़बाड़ एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहुर नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के संबंध में" श्रीमती लीला देवी निवासी-ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शेष 20 कि0मी0 निर्माणाधीन नरूड़ चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में" श्रीमती लीला देवी निवासी- ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मोष्टामानू में निर्माणाधीन बेस चिकित्सालय के रोके गये निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में" श्री लीलाम्बर गुरूरानी निवासी- ग्राम स्तवाली पो0 नाकोट जनपद पिथौरागढ़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के ग्राम खेड़ा पछवा की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के उत्तरी तटबंध बनाने के संबंध में" श्री मनोज पुण्डीर निवासी- ग्राम खेड़ा पछवा जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के बहादुरगढ़ जंगल से बहने वाले बरसाती वाले नाले से हजारों बीघा कृषि भूमि एवं बरोटीवाला-आमबाड़ी मुख्य मार्ग को हो रही अपूर्णीय क्षति की रोकथाम हेतु मुख्य मार्ग एवं बरसाती नाले को पक्का किये जाने के संबंध में" श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी- ग्राम पृथ्वीपुर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम बरोटीवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के दक्षिणी तटबंध बनाने के संबंध में" श्री जागीर सिंह निवासी- ग्राम खेड़ा पछवा जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकास नगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के ग्राम प्रतीतपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि को आसन नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु आसन नदी के दक्षिणी तटबंध बनाने के संबंध में" श्री जसवन्त सिंह निवासी- ग्राम प्रतीतपुर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

15. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

16. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

17. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ग")

18. सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

19. सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

21. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

23. मुख्यमंत्री,, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

25. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2013-14 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

26. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो " भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

27. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो " भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पारित किया जाय।

28. ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2. श्री मदन कौशिक 3. श्री दलीप सिंह रावत 4. श्री अजय टम्टा 5. डा0 प्रेम सिंह 6. श्री विशन सिंह चुफाल 7. श्री तीरथ सिंह रावत 8. श्री आदेश चौहान 9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल 10. श्री राजेश शुक्ला 11. श्री दान सिंह भण्डारी 12. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13. श्री बंशीधर भगत 14. श्री पुष्कर सिंह धामी 15. श्री सहदेव सिंह 16. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 17. श्री राजकुमार ठुकराल 18. श्री चन्द्रशेखर 19. श्री संजय गुप्ता 20. श्री अरविन्द पाण्डे	"उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

29. ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

30. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2. श्री मदन कौशिक 3. श्री दलीप सिंह रावत 4. श्री अजय टम्टा 5. डा0 प्रेम सिंह 6. श्री विशन सिंह चुफाल 7. श्री तीरथ सिंह रावत 8. श्री आदेश चौहान 9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल 10. श्री राजेश शुक्ला 11. श्री दान सिंह भण्डारी 12. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13. श्री बंशीधर भगत 14. श्री सहदेव सिंह 15. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 16. श्री राजकुमार ठुकराल 17. श्री चन्द्रशेखर 18. श्री संजय गुप्ता 19. श्री अरविन्द पाण्डे	"उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

31. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

32. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2. श्री मदन कौशिक 3. श्री दलीप सिंह रावत 4. श्री अजय टम्टा 5. डा0 प्रेम सिंह 6. श्री विशन सिंह चुफाल 7. श्री तीरथ सिंह रावत 8. श्री आदेश चौहान 9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल 10. श्री राजेश शुक्ला 11. श्री दान सिंह भण्डारी 12. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13. श्री बंशीधर भगत 14. श्री सहदेव सिंह 15. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 16. श्री राजकुमार ठुकराल 17. श्री चन्द्रशेखर 18. श्री संजय गुप्ता 19. श्री अरविन्द पाण्डे	"उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

33. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

34. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 20 मार्च, 2013

नत्थी– "ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च 2013 की बैठक में दिनांक 20–03–13 से दिनांक 23–03–13 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2013,

20 बुधवार

(1) वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। **(अपराह्न 04:00 बजे)**

(2) विधायी कार्य :–

(1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो " भारत का संविधान" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

(2) उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

(3) उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण **(15 मिनट)**

(4) उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण।**(15 मिनट)**

21 गुरूवार

(1) वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

(2) नियम–105 के प्रस्ताव पर चर्चा :–

1. **श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव :–

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।" **(15 मिनट)**

2. **श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव :–

"यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।" **(15 मिनट)**

3. **श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव :–

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।" **(15 मिनट)**

4. **श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा** के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

" यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं हेतु नदियों में जल का प्रभाव निरन्तर बनाये रखने हेतु नदियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाय।" **(15 मिनट)**

5. **श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा** के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

" इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरल एवं स्पष्ट नीति बनायी जाय।" **(15 मिनट)**

नियम–54 की सूचना पर चर्चा :–

1. **श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।" **(15 मिनट)**

2. **श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकार निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में।" **15 मिनट)**

3. **श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

" वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।" **(15 मिनट)**

4. **श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊंचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।"**(15 मिनट)**

5. **श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा** की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।" **(15 मिनट)**

22 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

(2) विधायी कार्य।

(3) **असरकारी संकल्पों पर चर्चा :–**

1. **डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत असरकारी संकल्पः–

" इन माननीय सदन की सर्वसम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"**(15 मिनट)**

2. **श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा** द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत असरकारी संकल्प :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"**(15 मिनट)**

3. **श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा** की निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में खाद्य विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) में व्यापक सुधार लाये जाने की आवश्यकता के मध्यनजर इस माननीय सदन की एक समिति का गठन किया जाय जो इस सम्पूर्ण विषय पर विचार–विमर्श करके एक माह में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।" **(15 मिनट)**

4.**श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा** की निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

"यह सदन भारत सरकार से संस्तुति करता है कि प्रदेश में कृषकों की फसलों को ओलावृष्टि एवं सूखा से पच्चास प्रतिशत से अधिक क्षति का जो मुआवजा मिलता है उस मुआवजे की धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"**(15 मिनट)**

5. **श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा** की निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाय।" **(15 मिनट)**

6. **श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा** की निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

"सदन का सुनिश्चित मत है कि रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टनकपुर–बागेश्वर रेल लाईन स्वीकृत की जाय।"**(15 मिनट)**

23 शनिवार, विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

मा0 वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर, संसदीय एवं विधायी कार्य, निर्वाचन, जनगणना, भाषा, प्रोटोकाल मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

मा0 राजस्व, आपदा प्रबन्ध, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, जलागम प्रबन्ध, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**

मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, आयुष शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**

मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**

मा0 पर्यटन, उद्यान, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**

मा0 नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, युवा कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। **(15 मिनट)**

मा0 कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सैनिक कल्याण, पेयजल, विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**

मा0 शहरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, फलोद्योग, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड तथा जेल मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान **(15 मिनट)**

मा0 मंत्री श्रम, सेवायोजन, लघु उद्योग, दुग्ध विकास, खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	16	श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	**(15 मिनट)**

मा0समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या	15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	**(15 मिनट)**
	24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	**(15 मिनट)**
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	**(15 मिनट)**
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	**(15 मिनट)**

मा0 मुख्य मंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान सं0	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	03	मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**	—
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**	—
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**	—
	21	उर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**	—
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान् **(15 मिनट)**	—
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**	—
	27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**	—

विधायी कार्य :–

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।